ई–मेल / डाक

पत्रांक :– खा०प्र०–02–मॉडल गोदाम / 01 / 2016–940

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

हिमानी पाण्डे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
राँची एवं खूँटी।

/ राँची, दिनांक – 17/03/23

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि में राँची एवं खूँटी जिला के निगम गोदामों में Weighbridge with Operator Room के अधिष्ठापन / निर्माण हेतु मुख्य अभियंता कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, संयुक्त कार्यालय भवन, राँची द्वारा प्रति गोदाम तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलित राशि रूपये 36,94,000.00 (छत्तीस लाख चौरानवे हजार) मात्र के आलोक में कुल राशि रूपये 1,84,70,000 (रूपये एक करोड़ चौरासी लाख सत्तर हजार मात्र) का आवंटन के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–883, दिनांक 14.03.2023।

महाशय,

झारखण्ड राज्य के गोदामों में वाहन एवं खाद्यान्न के वजन के पारदर्शी तरीके से अनुश्रवण हेतु Weighbridge के अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में दिनांक 01.02.2023 को आहूत बैठक में राँची (कडरू परिसर काँके एवं नगड़ी) तथा खूँटी (खूँटी एवं तोरपा) जिले में Weighbridge अधिष्ठापन का अनुशंसा की गई है। उक्त क्रम में मुख्य अभियंता कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, संयुक्त कार्यालय भवन, राँची से Weighbridge With Operator Room के अधिष्ठापन / निर्माण हेतु रूपये 36,94,000.00 (छत्तीस लाख चौरानबे हजार) प्रति गोदाम की दर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलित राशि कुल राशि रूपये 1,84,70,000 (रूपये एक करोड़ चौरासी लाख सत्तर हजार मात्र) की व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–883, दिनांक 14.03.2023 द्वारा प्रदान की गई है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में राँची (कडरू परिसर काँके एवं नगड़ी) तथा खूँटी (खूँटी एवं तोरपा) जिले में Weighbridge अधिष्ठापन हेतु रूपये 36,94,000.00 (छत्तीस लाख चौरानबे हजार) प्रति गोदाम की दर से कुल राशि रूपये 1,84,70,000 (रूपये एक करोड़ चौरासी लाख सत्तर हजार मात्र) का आवंटन निम्नवत् प्रदान किया जाता है:–

क्र० सं०	जिला	प्रखण्ड	गोदाम का नाम	गोदाम की क्षमता (मे०टन० में)	प्रक्षेत्र	आवंटित राशि (रूपये में) **(Weighbridge With Operator Room)**
1	राँची	राँची अनुभाजन	कडरू परिसर	7500	TSP	36,94,000
		कांके	कांके	1000		36,94,000
		नगड़ी	नगड़ी	2000		36,94,000
				कुल		**1,10,82,000**
2	खूँटी	खूँटी	खूँटी	2250		36,94,000
		तोरपा	तोरपा	750		36,94,000
				कुल		**73,88,000**
				सकल कुल		**1,84,70,000**

(रूपये एक करोड़ चौरासी लाख सत्तर हजार मात्र)

D:\Mukesh - 2022-23\0. Plan_Allotments-Combined-22-23\10. Godown\8th_Allot ------Weighbridge_Ranchi_Khunti..Joc

2. Weighbridge With Operator Room के निर्माण/अधिष्ठापन हेतु मुख्य अभियंता कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, संयुक्त कार्यालय भवन, राँची से प्राप्त प्राक्कलन एवं नक्शा के अनुसार संबंधित जिला के कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग के द्वारा डिपोजिट कार्य के रूप में समय सीमा के अंदर संपन्न कराया जायेगा। इसके लिए निविदा प्रकाशित करने से पूर्व प्राक्कलन पर Site Specific के आधार पर तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी। कार्य खुली एवं प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से संपन्न कराया जायेगा।

3. आवंटित राशि की निकासी गोदाम निर्माण योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्य शीर्ष–4408–खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–02–भण्डारण तथा भण्डागार, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–01–गोदाम निर्माण/मरम्मति योजना, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य (18S44080279601010545) के अंतर्गत उपबंधित राशि से की जाएगी।

4. आवंटित राशि निर्धारित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत है।

5. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी होंगे जो विभाग द्वारा आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार करेंगे। जिला को आवंटित राशि के नियंत्री पदाधिकारी उपायुक्त होंगे।

6. संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, द्वारा संयुक्त रूप से खुली निविदा के माध्यम से संबंधित भवन प्रमण्डल द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य की समीक्षा कर प्रत्येक माह की 5वीं तारीख को गोदाम निर्माण से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. राशि व्यय के उपरान्त व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में विभाग में समर्पित किया जायेगा एवं इसकी एक प्रति महालेखाकार, झारखण्ड को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–1800, दिनांक 15.07.2003 के आलोक में आवंटित राशि की निकासी की जाएगी।

9. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन सख्ती से किया जाय। ध्यान रहे कि एक बार में उतनी ही राशि की निकासी की जाय जितनी की खर्च किया जा सकें साथ ही जो राशि 31 मार्च 2023 तक व्यय नहीं हो, उसे प्रत्यर्पित कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में राशि की निकासी कर बैंक में नहीं रखा जाय।

विश्वासभाजन,

17/3/23

(हिमानी पाण्डे),

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – खा०प्र०–02–मॉडल गोदाम/01/2016 940 /राँची, दिनांक – 17/03/23

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची/उपायुक्त, राँची एवं खूँटी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची एवं खूँटी/कार्यपालक अभियंता, संबंधित भवन प्रमण्डल/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/23

सरकार के प्रधान सचिव।

D:\Mukesh - 2022-23\0. Plan_Allotments-Combined-22-23\10. Godown\4th_Allot------Weighbridge_Ranchi_Khunti.doc